

(120)

फॉर्म सी-2

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी.वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं 538 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: इंडियन नेशनल कांग्रेस

निर्वाचन का नाम: विधानसभा मध्यप्रदेश

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: मध्यप्रदेश

1	2	3	4	5		
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण		
				न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख		
				अपराध(धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण		
1	संजय शर्मा	120 तेंदूखेड़ा	SCPPM/3/2023	धारा 188 भारतीय दंड संहिता विचारणधीन Disobedience of Public Order	शून्य	शून्य

'राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी (i) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

सिंहप्राभा